

-::आदेश:-

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली-2014 में दिये गये प्राविधानानुसार विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति के आधार पर राज्य कर विभाग में कार्यरत निम्नलिखित प्रधान सहायकों (वेतन बैंड-2-9300-34800 सादृश्य ग्रेड वेतन 4200 / लेवल-6) को प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैंड-2-9300-34800 सादृश्य ग्रेड वेतन 4600 / लेवल-7) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए अग्रिम आदेशों तक उन्हें उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर बनाये रखा जाता है:-

क्रम संख्या	ज्येष्ठता क्रमांक	कर्मचारी का नाम एवं पिता/पति का नाम श्री/श्रीमती/कु0	वर्तमान तैनाती/ जोन का नाम	जन्मतिथि
1	2	3	4	5
01	2067	गिरीश चन्द्र / कामता प्रसाद शर्मा	बिजनौर	05-01-1967
02	2068	विजय कुमार चौधरी / बरमेश्वर चौधरी	वाराणसी	20-01-1970
03	2069	जगदीश नारायण वर्मा / मिश्री लाल वर्मा	कानपुर	20-09-1970
04	2070	अजय गौतम / बौधी लाल गौतम	कानपुर	16-11-1971
05	2071	अश्वनी कुमार / राम प्यारे लाल	वाराणसी	04-07-1972
06	2072	हरिशंकर / राम लखन	वाराणसी	08-09-1972

2- उपरोक्त पदोन्नत कर्मिकों की तैनाती विभिन्न जोन / कार्यालयों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष अलग से सुनिश्चित करायी जायेगी ।

3- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उपरोक्त पदोन्नत कर्मचारियों को पदोन्नति आदेश तामील कराते हुए उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर ही प्रशासनिक अधिकारी के पद पर दिनांक 18-03-2025 तक कार्यभार ग्रहण कराये तथा यदि कोई कर्मिक किन्हीं कारणों से पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक न हो, तो उनसे उक्त आशय का पदोन्नति फोरगो प्रार्थना पत्र प्राप्त करके तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये ।

4- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी/सम्भागीय अधिकारी कृपया यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उपर्युक्त पदोन्नत कर्मिकों में से किसी कर्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत आरोप पत्र/नोटिस निर्गत हो, सतर्कता जॉच/ई0ओ0डब्ल्यू0 जॉच चल रही हो तो ऐसे कर्मिक पर यह पदोन्नति आदेश प्रभावी न मानते हुए उन्हें कार्यभार ग्रहण न कराए और अधोहस्ताक्षरी को तत्काल सूचित करें ।

5- उपरोक्त पदोन्नत कर्मिकों में से यदि किसी कर्मिक द्वारा निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उनकी पदोन्नति स्वतः निरस्त समझी जायेगी ।

6- वर्तमान में यदि कोई कर्मचारी स्तम्भ-4 में अंकित स्थान से स्थानान्तरित हो गया हो तो उसकी वर्तमान तैनाती का स्थान तदनुसार संशोधित मानकर सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी अपने स्तर से सम्बन्धित कर्मचारी को इस पदोन्नति आदेश की एक प्रति तामील कराते हुये कार्यभार ग्रहण करायेगे और इसकी सूचना मुख्यालय को उपलब्ध करायेगे ।



(सुनील कुमार वर्मा)

अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक // उक्त ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, मुरादाबाद, वाराणसी, कानपुर ।
- 3- संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, बिजनौर, सम्भाग ए/बी/सी वाराणसी एवं कानपुर ।
- 4- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु ।
- 5- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी राज्य कर, बिजनौर, वाराणसी, कानपुर ।
- 6- उपायुक्त (प्रशासन)/ आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, बिजनौर, वाराणसी, कानपुर ।
- 7- पटल प्रभारी स्था-4(क), 4(ख), 4(ग) स्था-6 (सामान्य), चरित्र पंजिका सेल (स्था0अराज0) राज्य कर, मुख्यालय ।
- 8- सम्बन्धित कर्मचारियों को (नाम से) ।

(सत्येन्द्र कुमार)

उपायुक्त (स्था0अराज0) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।